



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938

No. 954]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

का.आ. 1465(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

दूसरी अनुसूची में, "गुजरात" शीर्षक के अधीन, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट संबंधी क्रम संख्यांक 5घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
“5घक. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी	बी.एच.एम.एस.	“सितम्बर, 2014 से जून, 2016 तक, यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है इस अवधि के दौरान श्रीमती मालिनी किशोर संघवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कर्जन, गुजरात से उत्तीर्ण हुए हैं और अपनी अतःशिक्षता पूरी की है”।

[फा. सं. आर-13040/54/2014-एचडी (तक.)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 76, तारीख 20 दिसम्बर, 1973 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक 1049(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2016

S.O. 1465(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading ‘GUJARAT’ after serial number 5D relating to Saurashtra University, Rajkot and the entries thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
“5DA. Gujarat University, Ahmedabad.	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S	From June, 2014 to June, 2016; if granted to the students who have passed out and completed their internship during this period from Smt. Malini Kishore Sanghvi Homoeopathic Medical College, Karjan, Gujarat.”.

[F. No. R-13040/54/2014-HD(Tech)]

ANURAG SHRIVASTAV, Jt. Secy.

Foot note : The Principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 76 dated the 20th December, 1973 and last amended vide number S.O. 1049(E) dated the 10th March, 2016.